


103

①



CANCELLED


समक्ष व्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर केरम्प  
जबलपुर म.प्र.



१/ निरानी/ जबलपुर/ भ. रु./ 2018/ 2134 पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक / 17-18

आवेदकगण  
अधिकारी

1. पुरुषोत्तम पिता राम सिंह  
उम्र मगना उम्र लगभग 31 वर्ष,  
जाति बैगा (आदिवासी)




2. संतोष पिता राम सिंह मगना  
उम्र बालिक जाति बैगा आदिवासी  
दोनों निवासी ग्राम बिलसरा तहसील  
कुण्डम जिला जबलपुर म.प्र.

#### विरुद्ध

1. नारायण प्रसाद पिता नव्यू लाल  
उम्र बालिक  
मदनलाल पिता गनपत झारिया  
उम्र बालिक  
दोनों निवासी- ग्राम सदाफल  
तहसील कुण्डम जिला जबलपुर म.प्र.  
2. उदयबीर सिंह पिता लीलाधर  
सिंह उम्र बालिक, निवासी-  
फलेट एम/ 15 बिलिंग आर  
एस 2 एल प्लाट संख्या आर  
एल - 2 सेक्टर 6 वासी नवी  
मुम्बई 400703 (महाराष्ट्र)

3. आशीष कुमार पिता स्व. श्री  
अभयचरण दास उम्र बालिक  
निवासी- 47 नर्मदा रोड  
गोरखपुर जबलपुर म.प्र.



पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता  
यह पुनरीक्षण माननीय व्यायालय के समक्ष,

माननीय विद्वान अधिनस्थ व्यायालय श्रीमान अपर

3

कलेक्टर पीठसीन अधिकारी श्रीमति सुरभि गुप्ता के  
व्यायालय के अपील प्रकरण क्रमांक  
31/अपील/2013-14 में पारित विवादित आदेश दिनांक  
25.01.2018 से छुट्ठ होकर प्रस्तुत की जा रही है।  
यह उन्नीश्वर उत्पन्न माननीय एस.डी.ओ. कुण्डम  
जिला जबलपुर के राजस्व प्रकरण क्रमांक  
2742/बी-121/06-07 पक्षकार उत्तम, पुरुषोत्तम  
संतोष वि. कौशल किशोर, नारायण प्रसाद बगै. में पारित  
विवादित आदेश दिनांक 17.04.2014।

अपीलार्थी की ओर से निम्नलिखित उन्नीश्वर  
निम्नानुसार दर्शित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर  
विनय है :-

#### अपील के संक्षिप्त में तथ्य


1. यह कि, उत्तम पिता रामसिंह उर्फ (मगना) की  
मृत्यु माननीय एस.डी.ओ. के व्यायालय के लंबित  
रहने के दौरान हो चुकी है इसी प्रकार कौशल  
किशोर बल्द नारायण झारिया की भी मृत्यु प्रकरण  
लंबित रहने के दौरान हो चुकी है।

2. यह कि घाम लहसर नं.ब. पुराना 447 नया 166,  
प.ह.नं 74, नया 15 राजस्व निरीक्षक मण्डल  
पुराना कुण्डम नया इमलई तहसील पुरानी  
जबलपुर नई कुण्डम जिला जबलपुर में कृपाल बल्द  
खितई बैगा वर्ष 01.04.1976 के पूर्व निम्नलिखित  
भूमि के भूमिस्वामी थे।

भूमि स्वामी	ख.नं.	ख.न. नया	रकवा
कृपाल	252/1	386	0.922
बल्द			



प्रिया | ५०७४८ | श्र. २३ | २०१८/२१३४

प्राप्ति का विवर	दस्तावेज़ का विवर	पक्षकारी एवं अधिभाषक आदि का विवर
28/03/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा उपस्थित। उन्होंने निगरानी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किए जाने का अनुरोध किया, उनका निवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रकरण आवेदक को वापिस किया जाए। यह प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।	(3)  प्रशासकीय सदस्य